HRA AN AND AND THE GAZETTE OF Andia

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2011/चैत्र 9, 1933

No. 166]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2011/CHAITRA 9, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2011

सा.का.नि. 263(अ).—भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की दिनांक 19 मई, 2010 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 426(अ) जो भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में पृष्ठ 1-22 में प्रकाशित हुई थी, के पृष्ठ 1 पर नियम 1 के उप-नियम (2) को निम्नवत पढ़ा जाएगा :—

"(2) वे 1 अक्तूबर, 2011 से प्रभावी होंगे।"

[फा. सं. एक्स-11014/4/2006-डीएफक्यूसी]

अरुण पण्डा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम दिनांक 21 दिसम्बर, 1945 की अधिसूचना सं. एफ. 28-10/45-एच (I) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और इन्हें आखिरी बार 18 फरवरी, 2011 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 101(अ) के तहत संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th March, 2011

G.S.R. 263(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. G.S.R. 426(E), dated 19th May, 2010 published in Part II, Section 3, Sub-section (i) at pages 1-22 of the Gazette of India, Extraordinary, at page 12, sub-rule (2) of rule 1, shall read as follows,—

"(2) They shall come into force with effect from 1st day of October, 2011."

[F. No. X-11014/4/2006/DFQC]

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.

Foot Note.—The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. F. 28-10/45-H(I), dated 21st December, 1945 and last amended vide Notification number G.S.R. 101(E), dated 18th February, 2011.